न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 04/2023

1. श्री जीवण पुत्र श्री पूसा जाति जाट निवासी ग्राम चौसला, तहसील अंराई जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

(अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार अंराई द्वारा प्रकरण सं 14/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2016 व 04.03.2016)

उपस्थित :– 1. श्री रामदेव गुर्जर वकील अपीलान्ट।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक।

–: आदेश :–

दिनांक :– 12.02.2026

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि यह अपील, तहसीलदार अंराई जिला अजमेर द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण सं 14/2016 उनवानी सरकार जरिये पटवारी चौसला बनाम जीवण पुत्र पूसा में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2016 तथा 16/11 दिनांक 04.03.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

पटवारी हल्का ग्राम चौसला ने तहसीलदार अंराई के समक्ष दिनाक 08.02.2016 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री जीवण पुत्र श्री पूसा जाट निवासी ग्राम चौसला ने ग्राम चौसला के खसरा नम्बर 385 रकबा 24–04–00 बीघा में से 00–10–00 बीघा पर दो कमरे व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। न्यायालय तहसीलदार अंराई ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 26.02.2016 को अप्रार्थी पर 20 जुर्माना आरोपित करने तथा दिनांक 04.03.2016 को जुर्माना वसूली कर, फसल की जब्ती कर नीलमी की जाकर राजकीय आराजी से बेदखली के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश दिनांक 04.03.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। वकील अपीलान्ट के के निवेदन पर उन्हें स्थगन प्रार्थनापत्र पर एक पक्षीय सुना जाकर ग्राम चौसला के विवादित खसरा नम्बर 385 वर्तमान खसरा नम्बर 859/853 रकबा 2.1826 है0 में से 03–00–00 बीघा पर निर्मित आवासीय निर्माण को आगामी तारीख पेशी तक ध्वस्त नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये।

अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

अपर कलक्टर
अजमेर

सर्वप्रथम वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश की जानकारी दिनांक 09.01.2023 को तब हुई जब तहसीलदार अंराई मय पुलिस जाब्ता व अन्य कार्मिक मौके पर पहुँव कर उनके पक्का मकान व बाड़े को खाली करने की हिदायत देते हुए जबरन बेदखल करने पर आमाद हो गये। तब अपीलान्ट द्वारा निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन आदेश के बारे में बताया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की फोटो प्रति प्राप्त कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से शीघ्र ही अपील प्रस्तुत करवायी। इस प्रकार जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र ही अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी जो कि मियाद अवधि मं ही है। राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ग्राम चौसला के खसरा नम्बर 385 वर्तमान खसरा नम्बर 859/853 रकबा 2.1826है0 किस्म बंजर प्रथम में से 03 बीघा भूमि पर मौके पर पक्का मकान, कच्चा पक्का बाड़ा तथा पशुओं के चारा हेतु स्थान बनाकर अपीलान्ट व अपीलान्ट के पुत्रगण अलग–अलग मय परिवार निवास कर रहे है। अप्रार्थी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया परन्तु मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए बिना मौके की जाँच एवं बिना वास्तविक तथ्यों की जाँच किये पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया उन्होने कथन किया कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उक्त आदेश पारित किया गया है। उन्होने यह भी कथन किया किय अपीलान्ट उक्त भूमि पर करीब 40–45 वर्षों से निवास कर रहे है, विद्युत कनेक्शन लेकर उपभोग व उपयोग कर रहे है। अपीलान्ट के पक्ष में सं 1990 से 2006 से लगातार 2016 तक पी–14 खसरा परिवर्तन शील में काबिज काश्त व अधिवास हेतु प्रमाण सिद्ध करते है। वर्तमान में भी अपीलान्ट व अपीलान्ट के पुत्रगण अलग अलग पक्का मकान, बाड़ा व पशु चारागृह बनाकर निवास कर रहे है। उपरोक्त भूमि आबादी भूमि के समीप स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 07.09.2017 जारी किया गया है, सरकारी भूमि पर बने आवासगृहों के पट्टे जारी किये जाने बाबत भी राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 15.09.2017 व 03.10.2017 जारी किये गये है परन्तु तहसीलदार अंराई ने उपरोक्त वर्णित परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों की पालना किये बिना ही पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपनी विवेकीय शक्ति का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट, गिरदावर व ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियों की अनुपस्थिति में मात्र अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करवाने की गरज से मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा, जो कि मौका स्थिति से भिन्न है, तैयार कर अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार अंराई ने बिना जाँच किये, बिना धारा 91 के नोटिस प्रेषित किये तथा बिना अपीलान्ट को सुने हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो कि विधिक दृष्टि से निरस्त योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में उनके द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय भी न्यायिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किये। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उनके द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार अंराई द्वारा पारित आदेश 16/11 दिनांक 04.03.2016 (क्रमांक 10 जीवण प्रकरण सं 14/2016) की क्रियान्विति पर ताफैसला अपील स्थगन करते हुए ग्राम चौसाला के खसरा नम्बर 385 वर्तमान खसरा नम्बर 859/853 रकबा 2.18285है0 में से 03 बीघा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

भूमि पर अपीलान्ट व उनके पुत्रगणों के अलग–अलग बने पक्के मकान, बाड़े व पशुगृह को ध्वस्त नहीं करने, बेदखल नहीं करने तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित करे।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम चौसला तहसील अंराई की विवादित भूमि खसरा नम्बर 385 वर्तमान खसरा नम्बर 859/853 रकबा 2.1826 है0 में से 03–00–00 बीघा पर अपीलान्ट द्वारा पक्का मकान, बाड़ा व पशुगृह बनाकर अतिक्रमण किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सिवायचक भूमि है। उन्होने यह भी अवगत कराया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 के अनुसार जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण सं 31/2022 के निस्तारण हेतु दिये गये निर्देशों की पालना में राजस्व विभाग की टीम ने तहसीलदार अंराई, नायब तहसीलदार अंराई, विकास अधिकारी पंस अंराई, थानाधिकारी अंराई की उपस्थिति में ग्राम चौसला तहसील अंराई के खसरा नम्बर 662/385, 852/385, 857/859, 858/353, 859/853 में से अतिक्रमण को सम्पूर्ण रूप से हटाने की कार्यवाही की गयी तथा मौके पर ही अतिक्रमियों को तीन दिवस में चारा हटाने के निर्देश दिये गये। उन्होने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त भूमि पर उसका कब्जा होना प्रमाणित हो सके। उन्होने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का ग्राम चौसला के मौका पर्चा दिनांक 14.07.2017 व 10.01.2018 कें अनुसार भी ग्राम चौसला के खसरा नम्बर 385 पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण (कच्चा मकान) को हटाकर अपीलान्ट को बेदखल किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद भी पुनः उसी खसरा नम्बर पर अतिक्रमण किया जाता रहा है। उन्होने यह भी कथन किया कि तहसीलदार अंराई द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ही नियमानुसार कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया तथा लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम चौसला के खसरा नम्बर 385 रकबा 24–04–00 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 859/853 रकबा 2.1826 है0 में से 03 बीघा भूमि पर पक्का कमरा, बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार अंराई द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया तथा उन्हें इस आदेश की जानकारी दिनांक 09.01.2023 तब हुई जब तहसीलदार अंराई मय राजस्व टीम विवादित भूमि पर अतिक्रमण हटाने व बेदखली करने के लिए पहुँचे, क्योंकि न्यायालय तहसीलदार अंराई में निर्णित प्रकरण स 14/2016 की आदेशिका दिनांक 26.02.2016 पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर है तथा पटवारी हल्का के मौका पर्चा दिनांक 14.07.2017, जिसमें ग्राम चौसला के खसरा नम्बर 385 रकबा 24–04–00 बीघा भूमि पर अपीलान्ट जीवण व अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमियों को बेदखल किया गया है, पर भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट द्वारा आक्षेपित आदेश के लगभग 07 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण भी उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री चम्पापलाल द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (विरूद्ध तहसीलदार अंराई जिला अजमेर द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण सं 14/2016 उनवानी सरकार जरिये पटवारी चौसला बनाम जीवण पुत्र पूसा में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2016 तथा 16/11 दिनांक 04.03.2016) को निरस्त किया जाकर तहसीलदार अंराई द्वारा प्रकरण सं 14/2016 में निर्णित आदेश दिनांक 14.02.2016 तथा 04.03.2016 को यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे द्वारा सरे इलियाज सुनाया गया।

(ज्योति कक्वानी)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(ज्योति कक्वानी)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर